"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 सितम्बर 2008—आश्विन 4, शक 1930

भाग 3 (1)

विज्ञापन

निविदा सूचना

Raipur the 22nd September 2008

Short Tender Notice

G.B.4/Machine purchase (2) Hand Numbring/08-09/997.— Sealed tenders are invited for the purchase of Hand Numbering machine. The details and quantity of numbering machines will be purchased as given below :-

S. No.	Name of Machine	Description	Quantity
1.	Original " MAX " Hand Numbering Machines.	7 Digit ROMAN Engraving 45 m. m. and 5 action steel body.	25 Nos.
2..	Original " MAX " Hand Numbering Machines.	6 Digit ROMAN Engraving 45m. m. and 7 action steel body.	25 Nos.

Tender must be reach in this office with sample of Numbering machine with brousher on up to 13-10-2008 at 3.00 p. m. Tender will be opened on same day at 4.00 p. m. in presence of Tenderer's and their authorised representative. Tenderer will have to submit tender deposit of Rs. 10,000.00 in shape of F. D. R./C. D. R. /D. D. of Nationalised bank in favour of Commissioner, Govt. Printing & Stationery, C. G. Raipur. Tender submitted without earnest money will not be considered.

Terms of the Tender

1. Tenderer will have to submitted sample of Hand Numbering machine along with tender.
2. Rates of the numbering machine should be quoted with all taxes FOR destination. Govt. Regional Press Rajnandgaon.
3. The successful tenderer will have to execute agreement and submit the security deposit of 5% cost of numbering machine's.
4. Payment of machine supplied will be made only when machine is found in good and working condition.
5. Tenderer will have to supply the machine within prescribed period mentioned in supply order.
6. If tenderer is failed to supply the said machine his earnest money and security deposit will be forfeited.
7. No counter terms will be accepted.
8. Commissioner is not bound to accept lowest rates. He can divide the supply order between two or more tenderer.
9. Placement of tender and submission of earnest money mean's tender has accepted all the terms and condition of this tender.
10. Commissioner can relax any term and condition of this tender partly or wholly in the financial interest of Government.

Sd./-

Commissioner,
Govt. Printing & Stationery,
Chhattisgarh Raipur.

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास, दुर्ग

दुर्ग, दिनांक 1 सितम्बर 2008

प्रारुप-चार
(नियम 5(1) देखिये)

[छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उप-धारा (2) और छ. ग. लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक/1134/प्र-3/लो. न्यास/अविअ/2008.—चूंकि ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क आफ इंडिया छ. ग. ने छ. ग. न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 29-9-08 को विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं, क्यू. ए. खान, तहसील व जिला दुर्ग का लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 29-9-08 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कार्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्त्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम एवं पता तथा संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम और पता	:	ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क आफ इंडिया छ. ग.
2.	अचल संपत्ति	:	निरंक
3.	चल संपत्ति	:	निरंक

क्यू. ए. खान,
अनुविभागीय अधिकारी.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव (छ. ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 7 अगस्त 2008

क्रमांक/783/उपंरा/परिसमापन/2008.— वास्तव में यूनाईटेड मछुवा सहकारी समिति मर्यादित, राजनांदगांव, पं. क्र. 1651, जिला राजनांदगांव को कार्यालीन आदेश क्रमांक/293/उपंरा/परि., दिनांक 26-2-2008 से परिसमापन में लाया जाकर श्री आलोक सिंह, सहकारी निरीक्षक, राजनांदगांव को परिसमापक नियुक्त किया गया है. वस्तुत: यूनाईटेड मछुवा सहकारी समिति मर्यादित, राजनांदगांव ने अपने आमसभा दिनांक 15-7-2008 के प्रस्ताव व निर्णय क्रमांक-01 में उक्त संस्था को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है और उक्त संस्था के परिसमापक, श्री आलोक सिंह, सहकारी निरीक्षक ने भी यह सिफारिश किया है कि यूनाईटेड मछुवा सहकारी समिति मर्यादित, राजनांदगांव, पं. क्र. 1651 को पुनर्जीवित किया जावे और मैं परिसमापक के सिफारिश से सहमत एवं संतुष्ट हूं.

अतएव मैं, एस. एल. विश्वकर्मा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/एफ 5-1/99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26-7-99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ. ग. रायपुर के शक्तियों का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69(4) के विहित प्रावधानों के तहत यूनाईटेड मछुवा सहकारी समिति मर्यादित, राजनांदगांव, पं. क्र. 1651, जिला राजनांदगांव को पुनर्जीवित करता हूं.

यह आदेश दिनांक 07-8-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

एस. एल. विश्वकर्मा,
उप पंजीयक.

कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.)

कोरबा, दिनांक 11 सितम्बर 2008

क्रमांक /परिसमापन/2008/605.— गणेश लोहारी उद्योग सहकारी समिति मर्या., डुमरकछार, विकास खण्ड पाली, पंजीयन क्र. 3811 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक /परि./1995/1750 दिनांक 24-06-1995 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकास खण्ड पाली को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा गणेश लोहारी उद्योग सहकारी समिति मर्या., डुमरकछार की संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है. अत: मैं दिलीप जायसवाल, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, कोरबा म. प्र. सहपठित छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा (18)(1) (2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/उप./5/1/99 पन्द्रह भोपाल दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुये गणेश लोहारी उद्योग सहकारी समिति मर्या., डुमरकछार, विकास खण्ड पाली को पं. क्र. 3527, का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था निगम निकाय (बॉड़ी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 11-9-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

दिलीप जायसवाल,
सहायक पंजीयक.

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी समितियां, दुर्ग (छ. ग.)

दुर्ग, दिनांक 4 अगस्त 2008

क्रमांक /संपंदु/परिसमापन/2008/744.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक /उपंदु/परि./3476/दिनांक 22-12-1995 से बालाजी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, खुर्सीपार, सेक्टर-11, जोन-2, भिलाई, पं. क्र. 2401 को परिसमापन में लाया जाकर श्री बी. एल. पटेल, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. उक्त संस्था के सदस्यों के आवेदन पत्र के परिप्रेक्ष्य में श्री बी. एल. पटेल, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक ने अपने प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 27-05-2008 में बताया गया है कि उक्त संस्था के अंशधारी सदस्यों के द्वारा विचार विमर्श किया जाकर संस्था के सदस्यों के हित में संस्था को पुनर्जीवित किया जाकर संस्था का कार्य प्रारंभ करने का निर्णय सर्वसम्मत लिया गया है. परिसमापक ने परिसमापनाधीन उपरोक्त संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा किया है. मैं परिसमापक के उपरोक्त अनुशंसा से सहमत हूं.

अतएव मैं, उमेश तिवारी, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, दुर्ग, छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69 की उपधारा 4 में निहित प्रावधानों के प्रकाश में बालाजी प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, खुर्सीपार, सेक्टर-11, जोन-2, भिलाई, पं. क्र. 2401, जिला दुर्ग के परिसमापन संबंधी आदेश दिनांक 22-12-1995 को रद्द करता हूं तथा उक्त सोसायटी को पुनर्जीवित करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 04-08-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

उमेश तिवारी,
सहायक पंजीयक.

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 28 अगस्त 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2008/1700.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/1413/बिलासपुर दिनांक 21-11-2005 के तहत बिरगांव दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बिरगांव, पंजीयन क्रमांक 3840 दिनांक 1-3-97, विकासखण्ड मुंगेली, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के तहत श्री आर. एम. खैरवार, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 /सी दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 28-8-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 28 अगस्त 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2008/1701.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/651/बिलासपुर दिनांक 29-5-2006 के तहत सब्जी उत्पादक एवं विपणन प्रक्रिया सहकारी समिति मर्यादित, सेमरचुवा, पंजीयन क्रमांक 120, दिनांक 13-8-2001, विकासखण्ड मुंगेली, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के तहत श्री आर. एम. खैरवार, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 /सी दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 28-8-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

एन. कुजूर,
सहायक पंजीयक.

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी समितियां, विकासखण्ड कोटा, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 29 अगस्त 2008

क्रमांक/परिसमापन/2008/क्यू.— छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी नियम 1962 के उपनियम 57(5) के तहत परिसमापन की कार्यवाही हेतु सर्वसाधारण के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है. निम्न सहकारी संस्थाओं के दावेदार/लेनदार अपने दावे मय लिखित में प्रमाण 60 दिन के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा उपलब्ध अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी.

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास निम्न संस्थाओं का रिकार्ड/संपत्ति हो तो तत्काल परिसमापक के सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

क्र.	संस्था का नाम	पं. क्र. एवं दिनांक	परिसमापक	स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	जगदम्बा साख सहकारी समिति, रतनपुर.	197/04-02-2005	कोमल हुपेण्डी	कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर
2.	जय बजरंग आदिवासी मछुआ सह. समिति मर्या., चंगोरी.	3158/27-01-86	--"--	--"--
3.	लोकबंद हरिजन मछुआ सहकारी समिति मर्या., लोकबंद.	3496/19-01-86	--"--	--"--
4.	खारंग जलाशय निषाद मछुवा सहकारी समिति मर्या. सीस.	3556/30-11-94	--"--	--"--
5.	आदिवासी खारंग जलाशय मछुआ सहकारी समिति मर्या., मिलनाडीह.	3674/26-06-95	--"--	--"--
6.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., समेरा.	179/24-11-2004	--"--	--"--

कोमल हुपेण्डी,
परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2008.